राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

डूंगा बनाम बंशीधर

तारीख हुक्म	371/2015 हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
27/11/2025	पत्रावली प्रस्तुत हुई । अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित । अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी । पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 01/12/2025 को पेश हो । राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	
01/12/2025	आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई । संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि अपीलार्थीगण/वादीगण ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत घोषणा, दुरुस्ती इन्द्राज एवं स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय व डिक्री दिनांक 15/05/2015 पारित कर वादीगण का वाद आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीगण को पाबन्द किया जाता है कि वादीगण को बिना विधिक प्रक्रियां के बेदखल नही करे तथा वादीगण का वाद इन्द्राज दुरुस्ती, खातेदारी प्राप्त करने की ईस्तदुआ खारिज करते हुए वाद को आंशिक डिक्री कर दिया गया । जिससे व्यथित होकर अपीलार्थीगण द्वारा इस न्यायालय के समक्ष यह अपील प्रस्तुत की गयी है । जिस पर अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी । अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया । उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का मय अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अवलोकन किये जाने से यह जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा समस्त तथ्यों का परिक्षण/विवेचन करते हुये तनकीवार विस्तुत विवेचनात्मक अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित किये है, जिसमे कोई तथ्यात्मक एवं विधिक त्रुटी जाहिर नही होती है एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय में किया गया तनकीवार विवेचन एवं उसके आधार पर तय किया गया निष्कर्ष न्यायोचित्त एवं विधिसम्मत जाहिर होता है । अत: अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 15/05/2015 यथावत रखे जाकर अपील अपीलार्थी ख़ारिज की जाती है । पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो । निर्णय आज दिनांक 01/12/2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया । राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	